कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / **दिनांक–**

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
जिला शहरी विकास अभिकरण (DUDA), सासाराम
जिला– रोहतास

17 FEB 2017

महाशय,

जिला शहरी विकास अभिकरण, सासाराम के वर्ष 2011–12 से सितंबर 2016 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 751 / 16–17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

ह0
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0/ 14641/433 **दिनांक–** 15.2.17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, रोहतास

पत्र पंजी
20 FEB 2017
संख्या 1525
बिहार, पटना

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या– 751/16–17

भाग–1

प्रस्तावना

1.	निरीक्षित कार्यालय का नाम	जिला शहरी विकास अभिकरण, रोहतास (सासाराम)
2	लेखा की अवधि	2011–12 से सितंबर 2016 तक
3	लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	लेखापरीक्षा में प्रस्तुत एवं जॉच किए गए अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–1 पर तथा अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–2 पर दी गई है।
4	लेखापरीक्षा की अवधि	13.10.2016 से 25.10.2016 तक
5	कार्यपालक अभियंता का नाम	1. श्री रामानंद मंडल अप्रैल 2010 से 31.07.2014 2. श्री नवीन कुमार सिंह 31.07.2014 से 31.01.2015 3. श्री असलम महमूद 31.01.2015 से 02.07.2016 4. श्री आलम हुसैन 02.07.2016 से अब तक
6.	लेखापरीक्षा दल के सदस्यगणः	1. श्री राजेश भूषण, वरीय लेखापरीक्षक 2. श्री रमेश कुमार अभिषेक, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी 3. श्री मुकेश कुमार–III, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
7	पर्यवेक्षण पदाधिकारी	श्री अरूण कुमार, लेखापरीक्षा अधिकारी
8	पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति	जिला शहरी विकास अभिकरण, रोहतास (सासाराम) का यह प्रथम लेखापरीक्षा था।
9	लेखापरीक्षा टिप्पणी	जिन आपत्तियों का निष्पादन निरीक्षण स्थल पर नहीं हो सका उन्हें इस प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है ।
10	क्या आपत्तियों पर विचार विमर्श हुआ	हॉ, दिनांक 25.10.2016 को

11. **वित्तीय संव्यवहार**

जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), रोहतास द्वारा उपलब्ध कराए गए वित्तीय विवरणी के अनुसार डूडा, रोहतास द्वारा वर्ष 2011–12 से वर्ष 2016–17 (सितंबर 2016 तक) के दौरान वित्तीय संव्यवहार निम्नांकित थाः–

(रू0 लाख में)

विवरण	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17 (सितंबर 2016 तक)
(1) प्रारंभिक शेष	शून्य	155.73	289.12	688.14	598.77	958.01
(2) वर्ष की प्राप्ति	208.91	294.22	787.16	620.17	704.39	54.27
(3) कुल प्राप्ति (1+2)	208.91	449.95	1076.28	1308.31	1303.16	1012.28
(4) व्यय	53.18	160.83	388.14	709.54	345.15	352.94
(5) अंतिम शेष (4–5)	155.73	289.12	688.14	598.77	958.01	659.34

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि डूडा, रोहतास को वर्ष 2011–17 के दौरान कुल उपलब्ध राषि रू0 2669.12 लाख के विरूद्ध रू0 2009.78 लाख (75 प्रतिशत) का व्यय किया जा सका। वर्ष 2008–09 से 2010–11 से संबंधित वित्तीय अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उक्त वर्ष के दौरान वित्तीय संव्यवहार का पता नहीं चल सका। जवाब में यह बताया गया (25.10.2016) कि वित्तीय वर्ष 2008–09, 2009–10 एवं 2010–11 में इस विभाग से कोई भी योजना संचालित नहीं किया गया है।

दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई जिला शहरी विकास अभिकरण, रोहतास (सासाराम) द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना लेखापरीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

भाग–।। (क)

शून्य

भाग–।। (ख)

कंडिका (1) **अमान्य 1% Contingency राशि (रू0 9.15 लाख)**

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक– 3458; दिनांक– 21.06.2011 के द्वारा न.वि. एवं आ.वि. के नियंत्रणाधीन गठित जिला शहरी अभियंत्रण कोषांग (डूडा)' के कनीय कर्मियों, तृतीय वर्ग कर्मियों, कार्यालय व्यय एवं अन्य व्यय, जिसके लिए राज्य बजट से व्यवस्था नहीं की की गई थी, हेतु प्रत्येक परियोजना के कुल लागत का चार प्रतिशत (4%) सेवा शुल्क (Centage Charge) लेने की अनुमति दी गई थी। आगे, वित्त विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या–एम–4–26/2013/653/वि0; दिनांक– 25.01.2016 द्वारा राज्य के बोर्ड/निगम के द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए अलग– अलग

दरों पर चार्ज की जा रही Centage राशि की दरों में एकरूपता लाया गया तथा Centage का दर निर्धारित किया गया। साथ ही, यह भी निर्देश दिया गया था कि वर्त्तमान में Contingency के रूप में ली जा रही 1% की राशि अनुमान्य नहीं होगी।

जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), रोहतास के वर्ष 2016 में कार्यान्वित कराए जा रहे कार्यों के अभिलेखों तथा अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति विवरण (अक्टूबर 2016) की जाँच में यह पाया गया कि कार्यों के प्राक्कलनों में 4% Centage Charge के अतिरिक्त Contingency के रूप में 1% राशि का भी प्रावधान किया गया था। यह पाया गया कि डूडा रोहतास द्वारा वर्ष 2016–17 में रू0 1,090.68 लाख की प्राक्कलित राशि वाली कुल 93 योजनाएं कार्यान्वित की जा रहीं थीं, जिनमें Centage Charge (4%) के मद में रू0 36.60 लाख के अतिरिक्त Contingency (1%) के मद में कुल रू0 9.15 लाख राशि चार्ज किया गया था जो कि अनुमान्य नहीं था।

जवाब में यह बताया गया (25.10.2016) कि नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–3458; दिनांक–21.06.2011 के अनुसार प्राक्कलन में 4% Centage Charge का प्रावधान किया जाता है तथा PWD code के अनुसार 1% contingency का प्रावधान किया जाता है।

डूडा, रोहतास द्वारा दिया गया जवाब संतोषप्रद नहीं है क्योंकि वित्त विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या–एम–4–26/2013/653/वि0; दिनांक– 25.01.2016 के अनुसार Contingency के रूप में ली जा रही 1% की राशि अनुमान्य नहीं थी।

कंडिका (2): <u>परिमाण विपत्र की राशि कोषागार में जमा नहीं किया जाना–रू0 39.31 लाख</u>

बिहार वित्तीय संहिता के नियम 37 एवं 52 सहपठित बिहार कोषागार संहिता के नियम 7 के तहत सरकार के प्राप्तियों को प्राप्त कर अगले सप्ताह तक निश्चित रूप से सरकार के संबंधित शीर्ष मे जमा करने का प्रावधान है। उन्हें अन्य विविध व्यय हेतु अनुमति नहीं है। विभागीय कार्यो में उपयोग करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), रोहतास के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन निविदा के माध्यम से किया गया था। निविदाओं की परिमाण विपत्र (बी0ओ0क्यू0) की बिक्री की राशि निविदादाताओं द्वारा बैंक ड्राफ्ट/चेक द्वारा जमा की गई थी, जिसे डूडा कार्यालय द्वारा यू.बी.आई बैंक, सासाराम में बी0ओ0क्यू0 के लिए संधारित बचत खाता सं0– 1630010015987 में जमा किया गया था। यह पाया गया कि इस खाते में दिनांक – 14.01.2012 (प्रथम पासबुक) से 07.09.2016 तक ब्याज सहित रू0 39,31,541.00 जमा थी। परन्तु, यह राशि डूडा कार्यालय द्वारा सरकार के संबंधित शीर्ष मे जमा नहीं की गयी थी। इस प्रकार सरकारी धन को लगभग पॉच साल से कार्यालय द्वारा अवरूद्ध करके रखा गया।

जवाब में कार्यालय द्वारा यह बताया गया कि विभाग से निर्देश मिलते ही बी0ओ0क्यू0 की राशि जमा कर दिया जाएगा। बी0ओ0क्यू0 मद में प्राप्त कुल राशि रू0 39,31,541.00 सरकार से निर्देश प्राप्त कर संबंधित शीर्ष मे जमा कर लेखापरीक्षा कार्यालय को सूचित किए जाय।

कंडिका (3): बैंक खातों में प्राप्त ब्याज राशि को सरकार को वापस नहीं किया जाना

वित्त विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक– को0प्र0/विविध–06/2015/4349; दिनांक– 12.05.2015 के अनुसार स्थानीय अभिकरणों द्वारा राज्य सरकार द्वारा सहायक अनुदान के रूप में प्राप्त राशियों को बैंक खातों में रखा जाता है। पी0एल0 खाते में जमा राशि सरकार के राजकोष में रहती है, लेकिन बैंक खातों में जमा राशि सरकार के राजकोष से बाहर रहती है जिससे राज्य का नगद अंतषेष कम होता है। उपरोक्त पत्रांक की कंडिका–1 में यह निर्देश दिया गया था कि जिला शहरी विकास अभिकरण के बैंक खातों में जमा अव्यवहृत राशि को पी0एल0 खाते में जमा कराया जाए। अव्यवहृत लोक धन पर उदग्रहित ब्याज राशि को अभिकरण के खाते में आय के रूप में नहीं लिया जाए तथा ब्याज राशि सरकार को चेक के माध्यम से वापस की जाए ताकि उसे सुसंगत शीर्ष में जमा कराया जाए।

जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), रोहतास द्वारा संधारित विभिन्न रोकड़बहियों एवं बैंक पासबुक की जाँच में यह पाया गया कि डूडा, रोहतास द्वारा वर्ष 2010–11 से सितंबर 2016 के दौरान मुख्यमंत्री नगर विकास योजना, प्रशासनिक भवनों के निर्माण, नागरिक सुविधा आदि मद में प्राप्त सहायक अनुदान की राषियों को तीन बैंक खातों में जमा किया गया था, जिन पर ब्याज के रूप में कुल रू0 73,85,714.00 प्राप्त किया गया था (परिशिष्ट– IV)। परंतु, इस ब्याज राशि को वित्त विभाग के उपरोक्त पत्र के आलोक में सरकार के खाते में वापस नहीं किया गया था तथा ब्याज राशियों को रोकड़बही में अभिकरण की आय के रूप में लिया गया था।

जवाब में यह बताया गया (25.10.2016) कि ब्याज की राशि निर्देशानुसार सरकार को वापस कर दी जाएगी। ब्याज के रूप में अर्जित कुल रू0 73,85,714.00 सरकार को यथाशीघ्र वापस कर अगले लेखापरीक्षा को दिखाया जाए।

कंडिका (4) योजना में अनियमितता

योजना का नाम – वार्ड सं0–2 कोआथ नगर पंचायत में बमनौल आरा, पीरो से गोपाल प्रसाद केसरी के घर से होते हुए योगिनी कैनाल तक पी.सी.सी. रोड निर्माण।

निविदा की तिथि	:–	29.02.2012
प्राक्कलित राशि	:–	₹ 6.95 लाख
एकरारित राशि	:–	₹ 5.90 लाख
एकरारनामा संख्या एवं वर्ष	:–	13 /2011-12
संवेदक का नाम	:–	श्री संतोष कुमार ठाकुर
कार्य प्रारम्भ की तिथि	:–	08.04.2012
कार्य पूर्ण करने का समय	:–	दो माह
कार्य समाप्ति की तिथि	:–	10.07.12
मापी का राशि	:–	₹ 5.70 लाख
योजना की भौतिक स्थिति	':–	पूर्ण

अद्यतन भुगतान :– ₹ 5.61364 लाख

मापी पुस्त संख्या–14/2012–13

उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित संचिका व अभिलेखों के नमूना जाँच क्रम में निम्नांकित अनियमितता पायी गयी:–

क. <u>लेबर सेस की कटौती नहीं किया जाना–रू0 0.06 लाख</u>

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय के सितम्बर 1996 की अधिसूचना शीर्षक 'भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के तदनानुसार बिहार सरकार ने असाधारण गजट अधिसूचना सं0 4/एफ 1 –302/2006, श्र0 नि0 –865 दिनांक 18.08.2008 द्वारा श्रम उपकर लागू किया। इसके अनुसार सभी सरकारी विभागों को निर्माण की लागत का एक प्रतिशत श्रम उपकर विपत्रों से कटौती कर 'भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड' को प्रेषित करने का प्रावधान है। राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-- मु0नि0 (पथ)– 38 (अनु) पटना/दिनांक– 13/05/10 के अनुसार सभी सरकारी विभागों मे कराये जाने वाले योजनाओं के प्राक्कलन के सृजन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक मद के दर में वर्णित सेस हेतु 1% (एक प्रतिशत) की राशि का अतिरिक्त प्रावधान श्रमिक कल्याण कोष के लिये करते हुए विष्लेषण करना है।

परन्तु, लेखापरीक्षा में पाया गया कि संवेदक को कुल रू0 5,61,364.00 का भुगताान किया गया, परन्तु विपत्रों से श्रम उपकर की कटौती नही की गयी। विपत्रों से श्रम उपकर की कटौती नही किये जाने के फलस्वरूप रू0 5614.00 (5,61,364 × 1%) राशि का अधिक भुगतान किया गया।

ख. <u>रॉयल्टी मद में कम कटौती –रू0 0.08 लाख</u>

योजना में उपयोग की गयी सामाग्री की मात्रा निम्नलिखित थी:–

सामग्री का नाम	खपत मात्रा	रॉयल्टी दर	राशि (रू0 में)
Earth	219.65 m^3	22 m^3	4832
Sand	90.43 m^3	50/ m^3	4522
Sone sand	40.65 m^3	50/ m^3	2033
Stone chips	81.29 m^3	100/ m^3	8129
Bricks	593.07 m^2 = 8381सं0	29.5 प्रति हजार	247
	कुल		**19763**

उपर्युक्त विवरणी से स्पष्ट है कि रॉयल्टी मद में ₹ 19,763.00 की कटौती करनी थी परंतु योजना में मात्र रू0 11,727.00 (7,154.00 + 4,573.00) की कटौती की गयी थी। अतः रॉयल्टी मद में कम कटौती रू0 8,036.00 (19,763.00-11,727.00) वसूलनीय है।

ग. **विलंब शुल्क की कटौती नहीं – रू0 0.69 लाख**

एकरारनामा की कंडिका 02 में यह उल्लेख किया गया है कि निर्धारित अवधि में योजना कार्य पूर्ण नहीं किये जाने पर विलंब शुल्क के रूप में प्रति दिन प्राक्लित राशि का 1/2 % की दर से एवं अधिकतम 10% की कटौती की जाएगी।

योजना का कार्य लगभग एक माह के अधिक विलंब से पूर्ण किया गया फिर भी विलंब शुल्क की कटौती किये बिना संवेदक को अंतिम भुगतान कर दिया गया। अतः प्राक्कलित राशि रू0 69,518.00 (6,95,187 का 10 %) संवेदक से वसूलनीय है।

जवाब में यह बताया गया कि प्राक्कलन में श्रम उपकर की कटौती नहीं किया था जांचोपरांत जमानत की राशि से वसूली कर ली जाएगी। अतः राशि रू0 83,168.00 (5614+ 8036+ 69518) की यथाशीघ्र वसूली कर लेखापरीक्षा कार्यालय को सूचित किया जाय।

कंडिका (5): योजना में अनियमितता

योजना का नाम– सासाराम नगर परिषद वार्ड सं0–10 मुहल्ला फजल गंज में शंकर जी के मंदिर से भूषण सिंह के मकान, केदार सिंह के घर, उदय प्रताप के घर, रामाशीष सिंह के घर, कुटिया होते हुए रामत राय के घर तक पी.सी.सी. रोड निर्माण।

निविदा की तिथि	:–	16.06.2015
प्राक्कलित राशि	:–	9.87 लाख
एकरारित राशि	:–	8.89 लाख (10% below)
एकरारनामा संख्या एवं वर्ष	:–	12 /2015-16
संवेदक का नाम	:–	श्री द्वारिका सिंह
कार्य प्रारम्भ की तिथि	:–	30.07.15
कार्य पूर्ण करने का समय	:–	4 माह
कार्य समाप्ति की तिथि	:–	14.11.15
मापी का मुल्य	:–	8.25 लाख
योजना की भौतिक स्थिति	:–	पूर्ण
अद्यतन भुगतान	:–	5.22 लाख
		मापी पुस्त संख्या–14 / 2012–13

उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित संचिका व अभिलेखों के नमूना जाँच क्रम में निम्नांकित अनियमितता पायी गयी:–

क. **लघु खनिजों की ढुलाई पर अनियमित भुगतान– मो0 2.14 लाख**

बिहार लघु खनिज समुदान नियमावली 1972 के नियम 40(10) के अनुसार लघु खनिजों की ढुलाई को सुनिश्चित करने तथा अवैध उत्खनन को रोकने के उद्देश्य से संवेदकों से प्रपत्र एम0 तथा

एन0 के साथ चालानों की प्रति लिया जाना है। चालानों का सत्यापन खनन पदाधिकारी से सुनिश्चित किये जाने के पश्चात ही विपत्रों का भुगतान किया जाना है। बिहार वित्तीय नियामावली के प्रावधानानुसार भी ढुलाई मद में किये गये भुगतान के लिए अभिश्रव/चालानों का होना आवश्यक है। अभिश्रव प्राप्त किये बगैर ढुलाई मद में भुगतान वर्जित है।

उपरोक्त कार्य के अभिलेखों के जाँच मे पाया गया कि इस कार्य में 2nd विपत्र मूल्य तक व्यवहृत सामग्रियों का विवरणी निम्नवत् थाः–

सामग्री का नाम	खपत मात्रा	ढुलाई दर	राशि (रू0 में)
Local sand (Lead 3 Km)	56.03 m^3	205.29/m^3	11502
Earth (Lead 3 Km)	52.44 m^3	205.29/m^3	10765
Sone sand (Lead 25 Km)	59.33 m^3	468.37/m^3	27788
Stone chips (From Manpur to work site)	118.66 m^3	1198.20/m^3	142178
Bricks (Lead 8 Km)	12447	586.40प्रति हजार	7299
Cement (Lead 3 Km)	52.73 mt	272.20/ mt	14353
	कुल		**213885**

उपरोक्त योजना में व्यवहृत लघु खनिजों यथा स्टोन चिप्स, ईंट, मिट्टी तथा सोन बालू का भुगतान संवेदक से प्रपत्र एम0 तथा एन0 के साथ चालानों की प्रति लिये बगैर तथा अभिश्रव प्राप्त किये बगैर ही, सिर्फ रॉयल्टी काटकर किया गया था।

इससे यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि उपरोक्त लघु खनिजों की, जो कार्य उपयोग में लायी गयी थी वह एकरारनामें में प्रावधानित खदानों/स्थलों से ही लायी गयी थी। अतः अभिश्रव/चालानों का होना आवश्यक है। अभिश्रव प्राप्त किये बगैर ढुलाई मद में भुगतान की गई राशि 2,13,885.00 रू0 मान्य नहीं है।

ख. <u>रॉयल्टी मद में कम कटौती–रू0 0.08 लाख</u>

योजना में उपयोग की गयी सामग्री की मात्रा निम्नलिखित थीः–

सामग्री का नाम	खपत मात्रा	रॉयल्टी दर	राशि (रू0 में)
Earth	52.44 m^3	22 /m^3	1154
Local Sand	56.03 m^3	50/ m^3	2802
Sone sand	59.33 m^3	50/ m^3	2967
Stone chips	118.66 m^3	100/ m^3	11866
Bricks	12447	29.5 प्रति हजार	368
	कुल		**19157**

उपर्युक्त विवरणी से स्पष्ट है कि रॉयल्टी मद में 19,157.00 रू0 की कटौती करनी थी परंतु योजना में मात्र रू0 11,703.00 की कटौती की गयी थी एवं मिट्टी खनन पर शून्य रॉयल्टी कटौती की गयी थी। अतः रॉयल्टी मद में कम कटौती रू0 7,454.00 (19,157-11,703) संवेदक के विपत्र से वसूलनीय है।

जवाब में यह बताया गया कि विभाग के द्वारा निर्देशित खनन खादान से हीं प्राक्कलन में ढुलाई का प्रावधान किया गया है। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि ढुलाई से संबंधित अभिश्रव/साक्ष्य लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। रॉयल्टी मद में कम कटौती रू0 7,454.00 (19,157-11,703) संवेदक के अगले विपत्र से वसूली की जाये।

कंडिका (6): श्री संतोष कुमार, कनीय अभियंता को वेतन भुगतान (रू0 12.23 लाख)

आयकर की धारा 194 J के तहत किसी भी दक्ष संविदा कर्मचारी (which provides professional services, Ex.- Accountancy, Engineering etc.) के मानदेय भुगतान करते समय उनके मानदेय से 10% टी0 डी0 एस0 कटौती कर भुगतान किया जाना चाहिये।

जिला शहरी विकास अभिकरण, रोहतास सासाराम के, सामान्य रोकड़बही, वेतन संचिका, बैंक पासबुक के नमूना जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में श्री संतोष कुमार, कनीय अभियंता को कुल ₹ 8,78,191.00 मानदेय का भुगतान किया गया। विवरण निम्न है–

क्र. सं.	भुगतान तिथि	भुगतान अवधि	भुगतान की गई राशि	10% TDS of Income Tax
1	07.05.12	12.01.12 से फरवरी 2012	32903	3290
2	01.08.12	मार्च, अप्रैल 2012	40000	4000
3	31.01.13	मई, जून, जुलाई एवं अगस्त 2012	80000	8000
4	23.05.13	सितंबर, अक्टुबर, नवम्बर, दिसंबर 2012	72000	7200
5	12.09.13	जूलाई 2013	20000	2000
6	10.10.13	अगस्त 2013	20000	2000
7	13.12.13	सितंबर, अक्टुबर 2013	40000	4000
8	06.01.14	नवम्बर, 25 दिसंबर 2013 तक	36125	3613
9	11.10.14	26 दिसंबर 2013 से सितंबर 2014	183870	18387
10	21.01.15	अक्टुबर, नवंबर, 25 दिसंबर 2014 तक	56125	5613
11	25.12.15	26 दिसंबर 2012 से जून 2013	123870	12387
12	21.04.15	26 दिसंबर 2014 से मार्च 2015	86226	8623
13	11.06.15	अप्रैल, मई 2015	54000	5400
14	03.09.15	जून, जुलाई, अगस्त 2015	81000	8100
15	12.12.15	सितंबर, अक्टुबर, नवंबर 2015	81000	8100
16	25.05.16	दिसंबर 2015 से अप्रैल 2016	135000	13500
17	18.08.16	मई, जून, जुलाई 2016	81000	8100
		कुल	**1223119**	**122313**

श्री संतोष कुमार, कनीय अभियंता को 10 प्रतिशत TDS की कटौती नहीं किये जाने के कारण कुल रू0 1,22,313.00 का अधिक भुगतान हुआ। जवाब में यह बताया गया कि आगे भुगतान करते समय TDS की कटौती कर ली जाएगी। अतः राशि की कटौती कर लेखापरीक्षा कार्यालय को सूचित किया जाये।

कंडिका (7): <u>लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र (रू0 1,010.91 लाख)</u>

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), रोहतास को विभिन्न योजनांतर्गत उपलब्ध कराए गए निधियों के आवंटन पत्रों में यह स्पष्ट निर्देश था कि प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि डूडा, रोहतास द्वारा वर्ष 2013–14 से 2015–16 के दौरान मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के अंतर्गत कुल रू0 2434.58 लाख अनुदान प्राप्त किया गया था जिसके विरूद्ध कुल रू0 1,423.66 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को समर्पित किया गया था तथा शेष रू0 1010.92 लाख राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अनुदान प्राप्ति के तीन वर्षों के उपरांत भी समर्पित किए जाने हेतु लंबित थे। विवरण निम्नांकित है –

क्र. सं.	अनुदान का वर्ष	अनुदान का मद	स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	प्राप्त अनुदान की राशि	विभाग को समर्पित किए गए उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
1	2013–14	मुख्यमंत्री नगर विकास योजना	05/03.05.2013	92727679	80430386	12297293
2	2014–15		37/25.08.2014	73807524	42925498	30882026
3	2015–16		14/14.07.2015	76153429	19010269	57143160
4	2015–16		50/07.09.2015	769000	0	769000
कुल				**243457632**	**142366153**	**101091479**

जवाब में यह बताया गया (25.10.2016) कि प्राप्त आवंटन की कुछ राशि का व्यय होना शेष है एवं व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र सरकार को शीघ्र समर्पित किया जाये।

कंडिका (8): योजनाओं के लिए निर्धारित मापदंडो के विरूद्ध योजनाओं का चयन एवं कार्यान्वयन–रू0 919.64 लाख

राज्य के शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2008–09 से मुख्यमंत्री समेकित शहरी विकास योजना लागू की गई, जिसकी मुख्य विशेषताएं निम्न है:–

1. नगर निकाय के ऐसे पथ जो राष्ट्रीय/राजमार्ग अथवा पथ निर्माण विभाग के पथों/मुख्य पथों को लिंक पथ से जोड़ता हों।
2. चयनित सडकों के साथ जल निकास हेतु नालों एवं नालियों का निर्माण।
3. सडकों के बीच डिवाईडर के साथ भू–गर्भ केवलिंग पथ प्रकाश हेतु हाई मास्ट व्यवस्था।

4. भूमि अधिग्रहण का प्रावधान आदि।

जिला शहरी विकास अभिकरण, रोहतास के अभिलेखों की नमूना जॉच में यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15 तथा 2015–16 में क्रमशः कुल 70, 49 तथा 93 योजनायें ली गई। उनमें से क्रमशः 31, 17 तथा 43 ऐसी योजनायें चयन की गई जिसमें सड़कों के साथ जल निकासी हेतु नाला या नाली का निर्माण नहीं किया गया तथा कुछ योजनाओं में नाला या नाली का निर्माण बिना सडक के निर्माण के साथ किया गया।

जवाब में बताया गया कि संचालन समिति द्वारा पारित योजनाओं का हीं कार्य किया गया है। जवाब अमान्य है क्योंकि योजनाओं का चयन करते समय निर्धारित मापदंडों का पालन नहीं किया गया।

कंडिका (9) श्रम उपकर की कटौती नहीं किया जाना–रू0 1.59 लाख

अभिलेखों की नमूना जॉच में यह पाया गया कि अनुसूची में वर्णित कार्य योजनाओं की चलंत लेखा विपत्र में नियमानुसार लेबर सेस की कटौती नही की गई थी। जबकि प्रत्येक भुगतान में श्रम उपकर की कटौती कर संबंधित विभाग/कोष में जमा किया जाना था। इस प्रकार विभिन्न योजनाओं की कुल भुगतान रू0 1,59,00,560.00 का 1 प्रतिशत रू0 1,59,005.60 श्रम उपकर कोष में जमा करने से वंचित रहा (परिशिष्ट– V)।

जवाब में यह बताया गया कि जाँचोपरांत जवाब दी जायेगी।

कंडिका (10): निविदा की वैधता अवधि समाप्त होने के बावजूद एकरारनामा नहीं होना

निविदा संख्या – 04/2015–16

ग्रुप संख्या – 60

BOQ की राशि – रू0 10.07 लाख

योजना का नाम – मुख्यमंत्री नगर विकास योजनान्तर्गत नगर पंचायत कोआथ के वार्ड नं0 09 में श्री कृष्ण महतों के घर से अहरा तक ईटीकरण।

सफल संवेदक– श्री चून्नू पटेल

उपरोक्त योजना से संबंधित अभिलेखों के नमूना जॉच के क्रम में यह पाया कि उक्त योजना श्री चून्नू पटेल को आवंटित किया गया था। लेकिन निविदा की वैधता अवधि समाप्त होने के बावजूद भी अभी तक एकरारनामा नहीं किया गया था और न ही संवेदक की जमानत की राशि जब्त करने की कार्रवाई की गई थी।

जवाब में यह बताया गया कि जमीन विवाद के कारण एकरारनामा एवं कार्य आरंभ नहीं की जा सकी। जवाब अमान्य है क्योंकि निविदा आमंत्रित करने से पूर्व हीं स्थल जॉच किया जाना था।

कंडिका (11): NOC के बिना निविदा का आमत्रंण

योजना का नाम– वार्ड संख्या 37 तार बंगला पूल के पास साई मंदिर के नजदीक अर्द्ध निर्मित सभागार भवन का निर्माण एवं जिर्णोद्धार

निविदा संख्या– 05/2015–16

ग्रुप संख्या– 19

तकनीकी स्वीकृत राशि– 38.099

प्रशासनिक स्वीकृत राशि– 38.099

BOQ की राशि– 36.27 लाख

मुख्यमंत्री नगर विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए उपरोक्त योजना का चयन जिला संचालन समिति द्वारा किया गया, तदनुसार कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, रोहतास, सासाराम के द्वारा निविदा आमंत्रित किया गया, जिसमें कुल आठ संवेदकों ने भाग लिया, तथा सभी ने दर BOQ से 10 प्रतिशत निम्न Quote किया, तथा श्री बलराम सिंह को यह कार्य आवंटित किया गया (11.05.2016)।

अभिलेखों के जॉच के क्रम में यह पाया गया कि उक्त योजना से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, डिहरी से प्राप्त किये बिना ही निविदा आमंत्रित किया गया तथा निविदा की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद भी अभी तक एकरारनामा नही किया गया और न ही संवेदक की जमानत की राशि जब्त किया गया।

जवाब में यह बताया गया कि योजना संचालित समिति से पारित है तथा अविलंब निविदा करने का निदेश था क्योंकि मुख्यमंत्री नगर विकास योजना को इस वर्ष समाप्त कर दिया गया है निविदा नहीं करने के कारण आवंटन को वापस करना पड़ता। NOC नहीं मिलने पर राशि नगर विकास को लौटा दिया जाएगा। जवाब अमान्य है क्योंकि निविदा आमंत्रित करने के पूर्व ही NOC प्राप्त कर लेनी चाहिए थी।

नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी (टैन)

टिप्पणी (1): <u>पी0एल0 खाता का संधारण नहीं किया जाना</u>

वित्त विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक – एम–4–12/2013/3608/वि; दिनांक – 09.04.2015 के अनुसार राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अंतर्गत गठित निगम/बोर्ड/प्राधिकार/अभिकरण/एजेंसी/सोसाइटी/Special Purpose Vehicles आदि संस्थानों का, जो राज्य सरकार से किसी भी रूप में (यथाः अनुदान, ऋण, सेंटेज पर कार्य करने आदि) धन प्राप्त करती है, व्यक्तिगत लेखा खाता (पी0एल0 खाता) खोला जाएगा। साथ ही, यह निर्देश भी दिया गया था कि उपरोक्त संस्थाओं को तत्काल पी0एल0 खाता खोलकर उनके बैंक खाते में अब तक संचित राशि को 30 अप्रैल 2015 तक पी0एल0 खाते में जमा करा दिया जाए। आगे, उपरोक्त पत्रांक की कंडिका–2 में यह निर्देश दिया गया था कि विभिन्न विभागों

द्वारा उपरोक्त संस्थाओं के माध्यम से व्यय की जाने वाली केन्द्रांश/वित्त आयोग अथवा बाह्य संपोषित योजना से संबंधित राशि की निकासी भी पी0एल0 खाता के माध्यम से की जाएगी।

जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), रोहतास द्वारा संधारित अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि डूडा, रोहतास द्वारा वर्ष 2010–11 से सितंबर 2016 के दौरान मुख्यमंत्री नगर विकास योजना, प्रशासनिक भवनों के निर्माण, नागरिक सुविधा आदि मद में प्राप्त सहायक अनुदान की राशियों के वित्तीय संव्यवहारों के लिए तीन बैंक खातों का संधारण किया गया था। परंतु, कोई पी0एल0 खाता संधारित नहीं पाया गया।

जवाब में यह बताया गया कि विभाग से अभी तक पी0एल0 खाता खोलने का निर्देश अब तक अप्राप्त है। निर्देश प्राप्त होने के तत्पश्चात् पी0 एल0 खाता खोला जाएगा।

टिप्पणी (2): योजनाओं की भौतिक स्थिति

जिला शहरी विकास अभिकरण, कार्यालय, रोहतास सासाराम के द्वारा उपलब्ध करायी गयी योजना विवरणी के अनुसार मुख्यमंत्री नगर विकास योजना (MMNVY) एवं स्पर योजना (SPUR) से कार्यान्वित योजनाओं की स्थिति निम्न प्रकार थी:–

क्र. सं.	मद	वर्ष	कुल कार्यान्वित योजनाओं की संख्या	पूर्ण योजनाओं की संख्या	पूर्ण योजनाओं की संख्या	अभ्युक्ति
1.	MMNVY	2011-12	19	0	0	
2.	MMNVY	2012-13	26	0	0	
3.	SPUR	2012-13	4	4	0	
4.	MMNVY	2013-14	70	60	10	योजना कार्य स्थगित
5.	MMNVY	2014-15	49	43	6	2 योजना विवादित
6.	MMNVY	2015-16	93	14	79	11 योजना में कार्य शुरू नहीं। 02 नई योजना वापस।
कुल			261	121	95	

कुल 95 योजनाएँ 1–3 वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अपूर्ण थीं। योजनाओं के पूर्ण नहीं होने से इनका वांछित लाभ अप्राप्त है। पुनः 11 योजनाओं में कार्य प्रारंभ भी नहीं किया गया था।

जवाब में यह बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2013–14 में 10 योजनाओं पर उच्च न्यायालय में केस चल रहा है, वित्तीय वर्ष 2014–15 मे 6 योजना जमीनी विवाद के कारण लंबित है तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 मे

79 योजनाओं का कार्य प्रगति में है। योजनाओं को नियत समय–सीमा में पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।

टिप्पणी (3): <u>रोकड़बही में त्रुटियॉ</u>

कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण, रोहतास, सासाराम के लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि कार्यालय द्वारा संधारित रोकड़बही में निम्नलिखित त्रुटियाँ पायीं गयीं:–

(i) अलग– अलग मदवार सहायक रोकड़ बही (Subsidiary Cash Book) संधारित नहीं था।

(ii) रोकड़बही प्रतिदिन close नहीं किया जा रहा था।

जवाब में बताया गया कि भविष्य में अलग– अलग सहायक रोकड़बही का संधारण किया जाएगा एवं रोकड़बही को प्रतिदिन अंतशेष विश्लेषण किया जाएगा। उपरोक्त असंधारित रोकड़बहियों को संधारण कर एवं रोकड़बही को प्रतिदिन अंतशेष विश्लेषण कर अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय।

टिप्पणी (4): <u>महत्वपूर्ण दस्तावेजों का संधारण नहीं</u>

कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण, रोहतास, सासाराम के लेखापरीक्षा के दौरान पाया यह पाया गया कि कार्यालय द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण दस्तावेजों/पंजियों का संधारण नहीं किया जा रहा है:–

(i) परिसंपत्ति पंजी (Asset Register)

(ii) अग्रिम पंजी (Advance Register)

(iii) योजना पंजी (Scheme Register)

(iv) पंजियों की पंजी (Register of Register)

(v) सहायक रोकड़ बही (Subsidiary Cash Book)

जवाब में यह बताया गया कि परिसंपत्ति पंजी, योजना पंजी, पंजियों की पंजी उपलब्ध है एवं अग्रिम पंजी, सहायक रोकड़बही का आगे से संधारण किया जाएगा। उपरोक्त असंधारित पंजियों का संधारण कर अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय।

–हस्ता0–
(मुकेश कुमार– III)
स0ले0प0अ0
–अनुमोदित–
उपमहालेखाकार (सा0प्र0–I/स्था0नि0)

Appendix

Appx - IV

बैंक से प्राप्त ब्याज राशि की विवरणी

क्र०सं०	बैंक खाता सं०	तिथि	ब्याज की राशि
1.	16300100015987	02.06.12	1467.00
2.	— वही —	04.12.12	4301.00
3.	— वही —	05.06.13	6117.00
4.	— वही —	04.12.13	9151.00
5.	— वही —	05.06.14	9743.00
6.	— वही —	04.12.14	15316.00
7.	— वही —	06.06.15	18700.00
8.	— वही —	08.12.15	36140.00
9.	— वही —	04.06.16	44961.00
10.	— वही —	07.09.16	38517.00
11.	16300100014562	02.06.12	233764.00
12.	— वही —	04.12.12	283552.00
13.	— वही —	05.06.13	493365.00
14.	— वही —	04.12.13	363633.00
15.	— वही —	06.06.14	763714.00
16.	— वही —	04.12.14	975483.00
17.	— वही —	06.06.15	824162.00
18.	— वही —	08.12.15	928720.00
19.	— वही —	04.06.16	1125519.00
20.	— वही —	07.09.16	808131.00
21.	0846000100082899	08.03.12	51947.00
22.	— वही —	05.09.12	33160.00
23.	— वही —	03.03.13	42853.00
24.	— वही —	08.09.13	47748.00
25.	— वही —	02.03.14	41457.00
26.	— वही —	02.09.14	35457.00
27.	— वही —	03.02.15	34460.00
			72,80,523.00 P.T.O

क्र०सं०	बैंक खाता सं०	तिथि	ब्याज की राशि
			B/F – 7280523.00
28.	0846000105082899	02.09.15	34516.00
29.	– वही –	06.03.16	34707.00
30.	– वही –	03.06.16	17894.00
31.	– वही –	02.09.16	18074.00

कुल = 73,85,714.00

Rajesh.
Sr. Advs.
25.10.16

4R18162-5

①

Non Deduction of Labour Cess

No	Name of Work	Name of Contractor	Financial Year	Value of work done	Amount of labour cess to be deducted
1	Construction of Drain with RCC Cover from Sri Niwas Mahto House to Takia Taal Via Jagdish Singh House to Bazar Samiti Nala in Ward No 03 , Moh: Takia, sasaram Nagar Parishad under MMNVY	M/s Ashok Kumar	2012-13	2742974	27429.74
2	Construction of Chhat Ghat Kaq River near south side askamini mandir mouza tenduni, thana No 500, ward no 12 , Bikramgnaj Nagar Parishad under MMNVY	M/s Smt. Usha Devi	2012-13	703000	7030
3	Construction of Pucca Drain in Ward No: 10 Dalan of bhunwar khan to Guddi Devi under Nagar Panchayat Koath	M/s Ankuj Construction	2012-13	340196	3401.96
4	Construction of Pcc road from Girls high school to konhara well via big Khalihan in ward no. 08-09, under Nagar Panchayt Koath	M/s Ankuj Construction	2012-13	385670	3856.7
5	Construction of PCC Road & Drain from Jagdev Nagar Baulia Road Sadhu tea shop through Dr. B P singh house & M.S. Gandha upto Kedar Choudhary house aong ward No 34 &35 , Sasaram	Rajnish Kumar	2012-13	2409500	24095
6	Construction of Road & drain from Lal bangle Road via Krishna Mallah ,Dhekhar Prasad Ram , Mithilesh Gali to Binod Shankar in ward no 10 under Dehri Nagar	M/s Mangalam Constrution	2012-13	1156248	11562.48
7	Construction of Road & drain in ward no.-12 Dehri Nagar Paridad from Bigan Mahto house to jaga sah house via surya mandir and kalisthan in marain.	Shri Bhagwan Singh	2012 - 13	1172161	11721.61
8	Construction of P.C.C road & Drain from Dr. manoj agarwal via subodh shrivastav gali to naga ashram in ward no. 13 dehri nagar parisad .	Shri Narendra Singh	2013 - 14	1965849	19658.49
9	Construction of Drain with R.C.C cover from ram dulara house to binod singh house in ward no 10 fazalganj sasaram nagar parishad .	M/S Saraswati Construction	2012 - 13	1995000	19950
10	Construction of P.C.C road near chaman samshan ghat nasriganj nagar panchyat under		2012 - 13	1021250	10212.5

	Construction of road & drain in ward no. 36 dehri nagar parishad from sasdan kumar doka house to ramesh paswan house's baban \ram gali in Ambedkar Nagar	Sri Ashok Kumar	2013-14`	95698	956.98
12	Construction of road & drain in ward no 3 Dehri NagarParishad from krishna to bharat paswan house via late hari chandrabansi & ashok thakur gali in sindhauli road	Smt. Usha Devi	2011-12	963534	9635.34
13	Construction of road & drain in ward no 3 Dehri NagarParishad from Old G T Road near Dr. \hari bhusan house of suman ji house via lalendra pd. verma in bal govind house via late	Shri Saroj Kumar Singh	2011-12	949480	9494.8
			Total	**15900560.00**	**159005.6**

A.Kumar
AAO